क्रम-संख्या–75

रजिस्टर्ड नं0 एल0 डब्ल्यू/एन0पी0 561
लाइसेन्स नं0 डब्ल्यू0 पी0-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेंट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, बुधवार, 7 अप्रैल, 2021 ई0
(चैत्र 17, 1943 शक संवत्)

कार्यालय, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या 702/दस-लाइसेंस-59/2021-2022

प्रयागराज, दिनांक : 7 अप्रैल, 2021 ई0

अधिसूचना

सा0प0नि–25

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 24 और 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, आबकारी आयुक्त की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्या–27091/दस-लाइसेंस-59/2002–2003, दिनांक 14 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश, आबकारी (देशी शराब की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 में संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (चौदहवाँ संशोधन) नियमावली, 2021

1–संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ–(एक) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (चौदहवाँ संशोधन) नियमावली, 2021 कही जायेगी।

(दो) यह गज़ट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2–नियम 2 का संशोधन– उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में, नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए नियम-2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	**स्तम्भ-2** एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
2–परिभाषायें–जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–	**2–परिभाषायें–**जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–
(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है;	(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है;
(ख) ''वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा'' का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा जारी सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसरण में लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा नियत और लाइसेंसधारी द्वारा फुटकर बिक्री के प्रयोजनार्थ आबकारी वर्ष में अपनी फुटकर दुकान के लिए उसके द्वारा उठाई जाने वाली प्रत्याभूत तीव्र देशी शराब (36 प्रतिशत वी/वी के रुप में) की मात्रा से है। तथापि, यदि आबकारी वर्ष के प्रारम्भ के पश्चात् कोई लाइसेंस दिया जाता है, तो आबकारी वर्ष में शेष दिनों की संख्या के अनुसार अनुपातिक रूप से उनकी न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा को घटा दिया जायेगा;	(ख) ''वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा'' का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा जारी सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसरण में लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा नियत और लाइसेंसधारी द्वारा फुटकर बिक्री के प्रयोजनार्थ आबकारी वर्ष में अपनी फुटकर दुकान के लिए उसके द्वारा उठाई जाने वाली प्रत्याभूत तीव्र देशी शराब (36 प्रतिशत वी/वी के रुप में) की मात्रा से है। तथापि, यदि आबकारी वर्ष के प्रारम्भ के पश्चात् कोई लाइसेंस दिया जाता है, तो आबकारी वर्ष में शेष दिनों की संख्या के अनुसार अनुपातिक रूप से उनकी न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा को घटा दिया जायेगा;
(ग) ''बेसिक लाइसेंस फीस'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 24 के अधीन देशी शराब की फुटकर बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार हेतु सम्पूर्ण आबकारी वर्ष या उसके भाग के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाने के निमित्त प्रतिफल के उस भाग से है, जो लाइसेंसधारी के रूप में चयनित व्यक्ति द्वारा, उसको लाइसेंस प्रदान किए जाने के पूर्व, ऐसी दरों पर, जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाय, भुगतान किया जाय। परन्तु यदि व्यवस्थापन मध्य सत्र में होता है, तो बेसिक लाइसेंस फीस अवशेष अवधि के एम0जी0क्यू0 के समानुपातिक होगी;	(ग) ''बेसिक लाइसेंस फीस'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 24 के अधीन देशी शराब की फुटकर बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार हेतु सम्पूर्ण आबकारी वर्ष या उसके भाग के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाने के निमित्त प्रतिफल के उस भाग से है, जो लाइसेंसधारी के रूप में चयनित व्यक्ति द्वारा, उसको लाइसेंस प्रदान किए जाने के पूर्व, ऐसी दरों पर, जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाय, भुगतान किया जाय। परन्तु यदि व्यवस्थापन मध्य सत्र में होता है, तो बेसिक लाइसेंस फीस अवशेष अवधि के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के समानुपातिक होगी;
(घ) ''देशी शराब'' में एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (ई0एन0ए0) से निर्मित ऐसी अल्कोहलीय सांद्रता वाली ''तनु या तीव्र'' देशी स्प्रिट भी सम्मिलित है, जैसा कि समय–समय पर राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा नियत की जाय ;	(घ) ''देशी शराब'' में एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (ई0एन0ए0) से निर्मित ऐसी अल्कोहलीय सांद्रता वाली ''तनु या तीव्र'' देशी स्प्रिट और उत्तर प्रदेश निर्मित शराब (यू0पी0एम0एल0) भी सम्मिलित है, जैसा कि समय–समय पर राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा नियत की जाय ;
(ङ) ''दैनिक बेसिक लाइसेंस फीस'' का तात्पर्य प्रतिफल शुल्क के उस भाग से है, जो कि अन्तरिम लाइसेंस के प्राप्तकर्ता द्वारा ऐसी दर से देय होगी जैसा कि राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाय ;	(ङ) ''दैनिक बेसिक लाइसेंस फीस'' का तात्पर्य प्रतिफल शुल्क के उस भाग से है, जो कि अन्तरिम लाइसेंस के प्राप्तकर्ता द्वारा ऐसी दर से देय होगी जैसा कि राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाय ;

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(च) ''दैनिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा'' वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का 1/365 वॉ भाग होगी;	(च) ''दैनिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा'' वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का 1/365 वॉ भाग होगी;
(छ) ''आबकारी वर्ष'' का तात्पर्य 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेन्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है;	(छ) ''आबकारी वर्ष'' का तात्पर्य 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेन्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है;
(ज) ''परिवार'' का तात्पर्य दम्पत्ति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्रों, अविवाहित पुत्रियों और आश्रित माता–पिता से है और वे इसमें शामिल हैं;	(ज) ''परिवार'' का तात्पर्य दम्पत्ति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्रों, अविवाहित पुत्रियों और आश्रित माता–पिता से है और वे इसमें शामिल हैं;
(झ) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है;	(झ) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है;
(ञ)''लाइसेंस प्राधिकारी'' का तात्पर्य जिले के कलेक्टर से है;	(ञ)''लाइसेंस प्राधिकारी'' का तात्पर्य जिले के कलेक्टर से है;
(ट) ''लाइसेंस फीस'' का तात्पर्य बेसिक लाइसेंस फीस के अतिरिक्त, आबकारी अधिनियम की धारा–24 के अधीन देशी शराब की फुटकर बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाने के लिए प्रतिफल के शेष भाग से है, जो लाइसेंसधारी द्वारा देय होगी। यह धनराशि दुकान के लिए नियत वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर उदग्रहणीय प्रतिफल फीस के बराबर होगी;	(ट) ''लाइसेंस फीस'' का तात्पर्य बेसिक लाइसेंस फीस के अतिरिक्त, आबकारी अधिनियम की धारा 24 के अधीन देशी शराब की फुटकर बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाने के लिए प्रतिफल के शेष भाग से है, जो लाइसेंसधारी द्वारा देय होगी। यह धनराशि दुकान के लिए नियत वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर उदग्रहणीय प्रतिफल फीस के बराबर होगी;
परन्तु यदि व्यवस्थापन मध्य सत्र में होता है, तो यह अवशेष अवधि की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में निहित प्रतिफल फीस के बराबर होगी;	परन्तु यदि व्यवस्थापन मध्य सत्र में होता है, तो यह अवशेष अवधि की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में निहित प्रतिफल फीस के बराबर होगी;
(ठ) ''लाइसेंस फीस की मासिक किस्त'' बेसिक लाइसेंस फीस के अतिरिक्त होगी जो लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में निहित प्रतिफल फीस के बराबर होगी और प्रत्येक माह देय होगी। तथापि लाइसेंसधारी द्वारा एक माह में उठाई गई देशी शराब की मात्रा में निहित प्रतिफल फीस का समायोजन नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए लाइसेंस फीस की मासिक किस्त के प्रति किया जा सकता है;	(ठ) ''लाइसेंस फीस की मासिक किस्त'' बेसिक लाइसेंस फीस के अतिरिक्त होगी जो लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में निहित प्रतिफल फीस के बराबर होगी और प्रत्येक माह देय होगी। तथापि लाइसेंसधारी द्वारा एक माह में उठाई गई देशी शराब की मात्रा में निहित प्रतिफल फीस का समायोजन नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए लाइसेंस फीस की मासिक किस्त के प्रति किया जा सकता है;
(ड) ''मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा''– वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा को बारह समान भागों में विभाजित किया जायेगा। इस प्रकार की गणना में प्राप्त मात्रा मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा होगी;	(ड) ''मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा''– वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा को बारह समान भागों में विभाजित किया जायेगा। इस प्रकार की गणना में प्राप्त मात्रा मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा होगी;
(ढ) ''प्रतिभूति धनराशि'' का तात्पर्य बेसिक लाइसेंस फीस के अतिरिक्त लाइसेंस फीस के 1/10वॉ भाग के बराबर धनराशि से है, जो जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई–पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी और जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तरिम व्यवस्थापन के बाद वापसी योग्य होगी;	(ढ) ''प्रतिभूति धनराशि'' का तात्पर्य बेसिक लाइसेंस फीस के अतिरिक्त लाइसेंस फीस के 1/10वॉ भाग के बराबर धनराशि से है, जो जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई–पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी और जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तरिम व्यवस्थापन के बाद वापसी योग्य होगी;

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
परन्तु नवीकरण की स्थिति में, पूर्व में नगद या राष्ट्रीय बचत पत्र (एन0एस0 सी0) के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय।	परन्तु नवीकरण की स्थिति में, पूर्व में नकद या राष्ट्रीय बचत पत्र (एन0एस0 सी0) के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय।
(ण) ''प्रतिफल शुल्क'' का तात्पर्य आबकारी अधिनियम की धारा–30 के अधीन राज्य सरकार द्वारा देशी शराब की तीब्रता के अनुसार प्रति लीटर की दर से निर्धारित फीस से है, जो देशी शराब की आपूर्ति से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा सरकारी कोषागार में जमा की जायेगी।	(ण) ''प्रतिफल शुल्क'' का तात्पर्य आबकारी अधिनियम की धारा–30 के अधीन राज्य सरकार द्वारा देशी शराब की तीव्रता के अनुसार प्रति लीटर की दर से निर्धारित फीस से है, जो देशी शराब की आपूर्ति से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा सरकारी कोषागार में जमा की जायेगी।
(त) "अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य देशी शराब के आप्टिमम रिटेल प्राइस को पॉच रुपये के अगले गुणक तक पूर्णाकिंत किये जाने के फलस्वरुप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है, जो आसवनी स्तर पर देय होगी तथा आसवनी द्वारा थोक आपूर्तिकर्ता से एक्स डिस्टिलरी प्राइस के अतिरिक्त वसूलनीय होगी एवं जो थोक आपूर्तिकर्ता द्वारा फुटकर लाइसेंसधारी से अधिकतम थोक मूल्य के अतिरिक्त वसूल की जा सकेगी, किन्तु अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की यह धनराशि, फुटकर लाइसेंसधारी द्वारा संदेय लाइसेंस फीस के सापेक्ष समायोजित नहीं की जायेगी।	(त) "अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य देशी शराब के आप्टिमम रिटेल प्राइस को पॉच रुपये के अगले गुणक तक पूर्णाकिंत किये जाने के फलस्वरुप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है, जो आसवनी स्तर पर देय होगी तथा आसवनी द्वारा थोक आपूर्तिकर्ता से एक्स डिस्टिलरी प्राइस के अतिरिक्त वसूलनीय होगी एवं जो थोक आपूर्तिकर्ता द्वारा फुटकर लाइसेंसधारी से अधिकतम थोक मूल्य के अतिरिक्त वसूल की जा सकेगी, किन्तु अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की यह धनराशि, फुटकर लाइसेंसधारी द्वारा संदेय लाइसेंस फीस के सापेक्ष समायोजित नहीं की जायेगी।
(थ) 'धरोहर धनराशि' का तात्पर्य लाइसेंस की स्वीकृति के लिये पात्रता की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिये आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली बेसिक लाइसेंस फीस की धनराशि के 1/10 भाग के बराबर धनराशि से है, जो व्यतिक्रम की दशा में इस नियमावली के नियम–12 के उपबन्धों के अधीन जब्त किये जाने योग्य होगी।	(थ) 'धरोहर धनराशि' का तात्पर्य लाइसेंस की स्वीकृति के लिये पात्रता की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिये आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली बेसिक लाइसेंस फीस की धनराशि के 1/10 भाग के बराबर धनराशि से है, जो व्यतिक्रम की दशा में इस नियमावली के नियम 12 के उपबन्धों के अधीन जब्त किये जाने योग्य होगी।
(द) 'अनुक्रम' का तात्पर्य ई/लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन के लिये कथित आधार दुकानों की धरोहर धनराशि के अवरोही क्रम से है।	(द) 'अनुक्रम' का तात्पर्य ई/लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन के लिये कथित आधार दुकानों की धरोहर धनराशि के अवरोही क्रम से है।
(ध) ''पोर्टल'' का तात्पर्य विनिर्दिष्ट रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म, जिस पर मदिरा निर्माण की प्रक्रिया से सम्बन्धित इसके वितरण के समाप्य अवस्था तक की सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड किये जाने के प्रयोजन से है;	(ध) ''पोर्टल'' का तात्पर्य विनिर्दिष्ट रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म, जिस पर मदिरा निर्माण की प्रक्रिया से सम्बन्धित इसके वितरण के समाप्य अवस्था तक की सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड किये जाने के प्रयोजन से है;
(न) ''ऋणशोधन क्षमता'' का तात्पर्य फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय अर्हता के मानदण्ड से है;	(न) ''ऋणशोधन क्षमता'' का तात्पर्य फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय अर्हता के मानदण्ड से है;
(प) ''व्यक्ति '' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो आवेदन करने के समय इक्कीस वर्ष की आयु से अन्यून, भारत का नागरिक हो;	(प) ''व्यक्ति '' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो आवेदन करने के समय इक्कीस वर्ष की आयु से अन्यून, भारत का नागरिक हो;

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(फ) ''व्यवस्थापन'' का तात्पर्य नवीकरण, ई–लाटरी अथवा ई–टेण्डर के माध्यम से दुकानों के व्यवस्थापन अथवा पुर्नव्यवस्थापन से है, जो समाचार पत्र एवं आबकारी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से पूर्व नोटिस एवं संसूचना देकर सप्ताह के किसी दिन में हो सकता है। आगामी वर्ष के लिये दुकानों का व्यवस्थापन विगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जा सकता है।	(फ) ''व्यवस्थापन'' का तात्पर्य नवीकरण, ई–लाटरी अथवा ई–टेण्डर के माध्यम से दुकानों के व्यवस्थापन अथवा पुर्नव्यवस्थापन से है, जो समाचार पत्र एवं आबकारी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से पूर्व नोटिस एवं संसूचना देकर सप्ताह के किसी दिन में हो सकता है। आगामी वर्ष के लिये दुकानों का व्यवस्थापन विगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जा सकता है। (ब) ''उत्तर प्रदेश निर्मित शराब (यू0पी0 एम0 एल0)'' का तात्पर्य ग्रेन एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (ई0एन0ए0) से विनिर्मित ऐसी अल्कोहलीय सांद्रता वाली देशी स्प्रिट से है, जैसा कि समय–समय पर राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा नियत की जाय।
(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हों।	(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हों।

3–नियम-14 का संशोधन–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में, दिये गये विद्यमान नियम-14 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
14. लाइसेंस फीस की मासिक किस्त का भुगतान और विफलता के परिणामः–	14. लाइसेंस फीस की मासिक किस्त का भुगतान और विफलता के परिणामः–
(क) लाइसेंसधारी को माह की अन्तिम तिथि तक लाइसेंस फीस की मासिक किस्त जमा करनी होगी, तथापि उसके द्वारा सम्बन्धित माह के दौरान उठायी गयी देशी शराब की मात्रा/संख्या में निहित प्रतिफल शुल्क को, इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन लाइसेंस फीस की मासिक किस्त में समायोजित किया जायेगा । परन्तु लाइसेंसधारी द्वारा मासिक एम0जी0क्यू0 का पूर्ण रुप से उठान न किये जाने की स्थिति में लाइसेंस को, न उठाये गये एम0जी0क्यू0 की मात्रा में सन्निहित प्रतिफल शुल्क व इसमें सन्निहित 36 प्रतिशत वी0/वी0 तीव्रता की देशी मदिरा के 200 एम0एल0 की बोतलों की संख्या पर देय अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क जमा करना आवष्यक होगा। (ख) लाइसेंसधारी से अपेक्षा की जायेगी कि वह अगले माह कि पहली तारीख के सायं 5 बजे तक स्वयं पर देय लाइसेंस फीस की गणना व सत्यापन हेतु अपने द्वारा उठायी गयी देशी शराब व जमा की गयी लाइसेंस फीस का विवरण देते हुये अपना लेखा और लाइसेंस फीस पासबुक जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत कर दे।	(क) लाइसेंसधारी को माह के अन्तिम दिनांक तक लाइसेंस फीस की मासिक किस्त जमा करनी होगी, तथापि उसके द्वारा सम्बन्धित माह के दौरान उठायी गयी देशी शराब की मात्रा/संख्या में निहित प्रतिफल शुल्क को, इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन लाइसेंस फीस की मासिक किस्त में समायोजित किया जायेगा । परन्तु यह कि लाइसेंसधारी द्वारा मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का पूर्ण रुप से उठान न किये जाने की स्थिति में लाइसेंसधारी को, न उठाये गये न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में सन्निहित प्रतिफल शुल्क व इसमें सन्निहित 36 प्रतिशत वी0/वी0 तीव्रता की देशी मदिरा के 200 एम0एल0 की बोतलों की संख्या पर देय अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क जमा करना आवश्यक होगा। (ख) लाइसेंसधारी से अपेक्षा की जायेगी कि वह अगले माह के प्रथम दिनांक के सायं 5 बजे तक स्वयं पर देय लाइसेंस फीस की गणना व सत्यापन हेतु अपने द्वारा उठायी गयी देशी शराब व जमा की गयी लाइसेंस फीस का विवरण देते हुये अपना लेखा और लाइसेंस फीस पासबुक जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत कर दे।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ग) लाइसेंसधारी द्वारा उठायी गयी देशी शराब में निहित प्रतिफल शुल्क के सम्यक समायोजन के पश्चात् लाइसेंस फीस में कोई कमी होने की स्थिति में अथवा यदि वह लाइसेंस फीस की कमी की पूर्ति करने में विफल रहता है, तब जिला आबकारी अधिकारी लाइसेंस फीस की अवशेष अधिशेष धनराशि को लाइसेंसधारी द्वारा जमा प्रतिभूति धनराशि में से समायोजित कर लेगा एवं प्रतिभूति धनराशि में आयी कमी को नकद जमा कराने हेतु लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा लाइसेंसधारी को नोटिस देने के पश्चात् उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी । इस कार्यवाही की अधिकतम समय सीमा माह के प्रारम्भ से दस कार्य दिवस होगी। अपेक्षित प्रतिभूति धनराशि की पुनः पूर्ति न करने की दशा में नियत अवधि व्यतीत हो जाने पर प्रश्नगत लाइसेंस, लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।	(ग) लाइसेंसधारी द्वारा उठायी गयी देशी शराब में निहित प्रतिफल शुल्क के सम्यक समायोजन के पश्चात् लाइसेंस फीस में कोई कमी होने की स्थिति में अथवा यदि वह लाइसेंस फीस की कमी की पूर्ति करने में विफल रहता है, तब जिला आबकारी अधिकारी लाइसेंस फीस की अवशेष अधिशेष धनराशि को लाइसेंसधारी द्वारा जमा प्रतिभूति धनराशि में से समायोजित कर लेगा एवं प्रतिभूति धनराशि में आयी कमी को नकद जमा कराने हेतु लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा लाइसेंसधारी को नोटिस देने के पश्चात् उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी । इस कार्यवाही की अधिकतम समय सीमा माह के प्रारम्भ से दस कार्य दिवस होगी। अपेक्षित प्रतिभूति धनराशि की पुनः पूर्ति न करने की दशा में नियत अवधि व्यतीत हो जाने पर प्रश्नगत लाइसेंस, लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा। मसान्त के पश्चात् आगामी माह में देशी शराब की मात्रा उठाने हेतु प्रतिभूति धनराशि की घाटे की पुनःपूर्ति करने की अनुज्ञा नही प्रदान की जायेगी। (घ) (1) अपने मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का अंश, जिसे वह उठाने में सक्षम न हो, उसी प्रकार के अन्य लाइसेंसधारी या लाइसेंसधारियों को अन्तरित करना चाहने वाले लाइसेंसधारी को किसी आबकारी जिला के भीतर मासिक आधार पर ऐसे अंश (कोटा)का अन्तरण करने की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है। (2) अन्तरणकर्ता लाइसेंसधारी अंतरिती लाइसेंसधारी की सहमति से जिला के जिला आबकारी अधिकारी से अनुरोध करेगा। अन्तरण की निबन्धनों का विनिश्चय, दोनों अन्तरणकर्ता और अंतरिती लाइसेंसधारियों द्वारा पारस्परिक रुप से किया जायेगा। (3) अन्तरणकर्ता लाइसेंसधारी के अनुरोध का अनुमोदन किये जाने पर उसके द्वारा अंतरित किये जाने हेतु करारकृत कोटा को उसके मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में से घटा दिया जायेगा और उसे उठा लिया गया समझा जायेगा तथा उसे अंतरिती लाइसेंसधारी के लेखा में अंतरित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के रुप में जोड़ दिया जायेगा। यह मात्रा अंतरिती लाइसेंसधारी के मूल मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के अतिरिक्त होगी और उसका मूल कोटा उठाये जाने से सम्बन्धित उसका दायित्व प्रभावित नही होगा।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	(4) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा कोटा यथाविहित अंतरण फीस, अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी द्वारा ऐसा अनुरोध किये जाने के समय संदेय होगी। परन्तु यह कि इस उपबंध के अधीन अंतरित कुल कोटा, अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी के मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। उसी प्रकार से अंतरिती लाइसेंसधारी अपने मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के 20 प्रतिशत से अधिक ऐसा अंतरित कोटा प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

पी0 गुरु प्रसाद,
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ
No.702/X-License-59/2021-2022
Prayagraj, dated: April 07, 2021
NOTIFICATION

In exercise of the powers under sections 24 and 41 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no.1 of 1904), the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government hereby makes the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licenses for Retail Sale of Country Liquor) Rules, 2002 published vide Excise Commissioner notification no. 27091/X-Licenes-59/2002-2003, dated March 14, 2002 and as amended time to time.

THE UTTAR PRADESH EXCISE (SETTLEMENT OF LICENSES FOR RETAIL SALE OF COUNTRY LIQUOR) (FOURTEENTH AMENDMENT) RULES, 2021

1. Short title and commencement–(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licenses for Retail Sale of Country Liquor) (Fourteenth Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. Amendment of Rule 2– In the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licenses for Retail Sale of Country Liquor) Rules, 2002, hereinafter referred to as the said rules, for rule 2 setout in Column-1 below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely :–

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
2. Definition: In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context– (*a*) "Act" means the United Provinces Excise Act, 1910 as amended from time to time.	**2. Definition:** In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:- (*a*) "Act" means the United Provinces Excise Act, 1910 as amended from time to time.

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
(*b*) "Annual Minimum Guaranteed Quantity (MGQ)", means the quantity of "Strong" country liquor (in terms of 36% v/v) as fixed by the Licensing Authority in accordance with the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner and guaranteed by the licensee to be lifted by him for his retail shop during an excise year for the purpose of retail sale. However if any license is granted after the commencement of the excise year then its annual minimum guaranteed quantity shall be reduced proportionately in accordance to the number of days remaining in the excise year.	(*b*) "Annual Minimum Guaranteed Quantity (MGQ)", means the quantity of "Strong" country liquor (in terms of 36% v/v) as fixed by the Licensing Authority in accordance with the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner and guaranteed by the licensee to be lifted by him for his retail shop during an excise year for the purpose of retail sale. However if any license is granted after the commencement of the excise year then its annual minimum guaranteed quantity shall be reduced proportionately in accordance to the number of days remaining in the excise year.
(*c*) "Basic License fee" means that part of consideration fee for the grant of license for the exclusive privilege of retail sale of country liquor under section- 24 of the Act, payable by the person selected as licensee before the license is granted to him, for the whole excise year or part thereof on such rates as notified by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time: Provided that if settlement is done in mid session the basic license fee will be in proportion to remaining minimum guaranteed quantity.	(*c*) "Basic License Fee" means that part of consideration fee for the grant of license for the exclusive privilege of retail sale of country liquor under section- 24 of the Act, payable by the person selected as licensee before the license is granted to him, for the whole excise year or part thereof on such rates as notified by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time: Provided that if settlement is done in mid session the basic license fee will be in proportion to remaining minimum guaranteed quantity.
(*d*) "country liquor" includes country spirit "mild" or "strong" manufactured from Extra Neutral Alcohol(ENA) having such alcoholic strength as may be fixed by the Excise Commissioner with prior sanction of the State Government from time to time.	(*d*) "Country Liquor" includes country spirit "mild" or "strong" manufactured from Extra Neutral Alcohol (ENA) having such alcoholic strength as may be fixed by the Excise Commissioner with prior sanction of the State Government from time to time and U.P. Made Liquor (U.P.M.L.).
(*e*) "daily basic license fee" means that part of consideration fee which is payable by the grantee in interim license on such rate as notified by the Excise Commissioner with prior sanction of the State Government.	(*e*) "Daily Basic License Fee" means that part of consideration fee which is payable by the grantee in interim license on such rate as notified by the Excise Commissioner with prior sanction of the State Government.
(*f*) "daily minimum guaranteed quantity" shall be 1/365th part of annual minimum guaranteed quantity.	(*f*) "Daily Minimum Guaranteed Quantity" shall be 1/365th part of annual minimum guaranteed quantity.
(*g*)"Excise Year" means the financial year commencing on 1st April to 31st March of the next calendar year.	(*g*)"Excise Year" means the financial year commencing on 1st April to 31st March of the next calendar year.
(*h*) "family" means and includes spouse (husband or wife), dependent son (s), unmarried daughter (s) and dependent parents;	(*h*) "Family" means and includes spouse (husband or wife), dependent son (s), unmarried daughter (s) and dependent parents;
(*i*) "Form" means a form appended to these Rules;	(*i*) "Form" means a form appended to these Rules;

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
(*j*) "Licensing Authority" means the Collector of the District;	(*j*) "Licensing Authority" means the Collector of the District;
(*k*) "License Fee" means the remaining part of consideration fee for grant of license for exclusive privilege of retail sale of country liquor under section-24 of the Act, payable by the licensee, in addition to the basic license fee. This sum shall be equal to the consideration fee leviable on the annual minimum guaranteed quantity fixed for the shop.	(*k*) "License Fee" means the remaining part of consideration fee for grant of license for exclusive privilege of retail sale of country liquor under section-24 of the Act, payable by the licensee, in addition to the basic license fee. This sum shall be equal to the consideration fee leviable on the annual minimum guaranteed quantity fixed for the shop.
Provided that if settlement is done in mid session it will be equal to consideration fee leviable on minimum guaranteed quantity.	Provided that if settlement is done in mid session it will be equal to consideration fee leviable on minimum guaranteed quantity.
(*l*) "Monthly Installments of Licence fee" It shall be in addition to basic licence fee which shall be equal to the consideration fee involved in the minimum guaranteed quantity of a month fixed by the licensing authority and shall be payable every month. However the consideration fee involved in the quantity of the country liquor lifted during the month by the licensee, may be adjusted against the monthly installments of the licence fee subject to the provisions of these rules;	(*l*) "Monthly Installments of License Fee" It shall be in addition to basic license fee which shall be equal to the consideration fee involved in the minimum guaranteed quantity of a month fixed by the licensing authority and shall be payable every month. However the consideration fee involved in the quantity of the country liquor lifted during the month by the licensee, may be adjusted against the monthly installments of the licence fee subject to the provisions of these rules;
(*m*) "Monthly Minimum Guaranteed Quantity"-; Annual Minimum Guaranteed quantity shall be apportioned into twelve equal parts. Quantity obtained from such calculation shall be minimum guaranteed quantity;	(*m*) "Monthly Minimum Guaranteed Quantity"-; Annual Minimum Guaranteed quantity shall be apportioned into twelve equal parts. Quantity obtained from such calculation shall be minimum guaranteed quantity;
(*n*) "Security amount" means a sum equal to the 1/10th part of the license fee excluding basic license fee, to be deposited through Fixed Deposit Receipt pledged in favour of District Excise Officer or through e-payment refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government.	(*n*) "Security amount" means a sum equal to the 1/10th part of the license fee excluding basic license fee, to be deposited through Fixed Deposit Receipt pledged in favour of District Excise Officer or through e-payment refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government.
Provided, in case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate (N.S.C.) shall be acceptable till it is not refunded;	Provided, in case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate (N.S.C.) shall be acceptable till it is not refunded;
(*o*) "Consideration fee" means a fee fixed, per liter by the State Government under Section 30 of the Excise Act according to the strength of the country liquor, to be deposited in the Government Treasury by the licensee before taking supply of country liquor;	(*o*) "Consideration fee" means a fee fixed, per liter by the State Government under Section 30 of the Excise Act according to the strength of the country liquor to be deposited in the Government Treasury by the licensee before taking supply of country liquor;

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
(*p*) "Additional Consideration fee" means difference amount obtained as a result of rounding off the optimum retail price of country liquor to the next multiple of five rupees, which shall be payable at Distillery level and recoverable by distillery from wholesale supplier in addition to Ex-Distillery Price and which in turn could be recovered by wholesale supplier from retail licensee in addition to maximum wholesale price. But this amount of additional consideration fee shall not be adjusted against the license fee payable by retail licensee;	(*p*) "Additional Consideration fee" means difference amount obtained as a result of rounding off the optimum retail price of country liquor to the next multiple of five rupees, which shall be payable at Distillery level and recoverable by distillery from wholesale supplier in addition to Ex-Distillery Price and which in turn could be recovered by wholesale supplier from retail licensee in addition to maximum wholesale price. But this amount of additional consideration fee shall not be adjusted against the license fee payable by retail licensee;
(*q*) "earnest money" means the amount equal to 1/10 of the amount of basic licence fee, to be tendered with application form, for ensuring the fulfillment of the eligibility conditions for the grant of licence and is liable to be forfeited in case of default under provisions of rule-12 of these rules;	(*q*) "Earnest Money" means the amount equal to 1/10 of the amount of basic license fee, to be tendered with application form, for ensuring the fulfillment of the eligibility conditions for the grant of license and is liable to be forfeited in case of default under provisions of rule-12 of these rules;
(*r*) "Hierarchy" means the earnest money of shops in the descending order purported to be the basis for the selection of licensee through the process of e/lottery;	(*r*) "Hierarchy" means the earnest money of shops in the descending order purported to be the basis for the selection of licensee through the process of e/lottery;
(*s*) "Portal" means the electronic platform created specifically for the purpose of uploading information in the prescribed form with regard to the process of manufacturing liquor up to the terminal stage of its distribution;	(*s*) "Portal" means the electronic platform created specifically for the purpose of uploading information in the prescribed form with regard to the process of manufacturing liquor up to the terminal stage of its distribution;
(*t*) "Solvency" means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of retail licence;	(*t*) "Solvency" means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of retail license;
(*u*) 'Individual' means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years;	(*u*) 'Individual' means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years;
(*v*) "Settlement" means settlement or re-settlement of shops through renewal, e-lottery or e-tender which may take place on any day of the week by giving prior notice and intimation through the newspaper and website of the excise department. The settlement of shops for the forthcoming year may also be done prior to the cessation of preceding financial year.	(*v*) "Settlement" means settlement or re-settlement of shops through renewal, e-lottery or e-tender which may take place on any day of the week by giving prior notice and intimation through the newspaper and website of the excise department. The settlement of shops for the forthcoming year may also be done prior to the cessation of preceding financial year.

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
	(*w*) "U.P. Made Liquor (U.P.M.L.)" means country spirit manufactured from grain Extra Neutral Alcohol (ENA) having such alcoholic strength as may be fixed by the Excise Commissioner with prior sanction of the State Government from time to time.
(2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.	(2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Amendment of rule-3– In the said rules, for existing rule-14 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely :–

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
14. Payment of monthly installment of licence fee and consequences of failure-	14. Payment of monthly installment of licence fee and consequences of failure-
(*a*) The licensee shall be liable to pay the monthly installment of licence fee by the last day of the month. However, the consideration fee involved in the quantity and strength of country liquor lifted by him during the concerned month shall be adjusted against the monthly installment of licence fee under the provisions of these rules.	(*a*) The licensee shall be liable to pay the monthly installment of license fee by the last day of the month. However, the consideration fee involved in the quantity and strength of country liquor lifted by him during the concerned month shall be adjusted against the monthly installment of licence fee under the provisions of these rules:
Provided, in case licensee fails to lift entire MGQ of month, it shall be necessary for the licensee to pay the consideration fee as well as the additional consideration fee, payable on the basis of 200 ml bottles of country liquor of 36 % v/v strength, involved in the MGQ not lifted.	Provided that in case licensee fails to lift entire MGQ of month, it shall be necessary for the licensee to pay the consideration fee as well as the additional consideration fee, payable on the basis of 200 ml bottles of country liquor of 36 % v/v strength, involved in the MGQ not lifted.
(*b*) The licensee shall be required to submit his account and licence fee passbook giving details of the country liquor lifted by him and licence fee deposited to the District Excise Officer by 5.00 p.m. of the first day of the next month of verification and calculation of licence fee due from him.	(*b*) The licensee shall be required to submit his account and license fee passbook giving details of the country liquor lifted by him and license fee deposited to the District Excise Officer by 5.00 p.m. of the first day of the next month of verification and calculation of license fee due from him.
(*c*) In case there is any shortfall in the licence fee after due adjustment of consideration fee involved in the country liquor lifted by the licensee or if he fails to make good the deficiency of license fee, then the District Excise Officer shall adjust the outstanding balance amount of licence fee from the security deposit of the licensee and after having issued notice to the licensee by the Licensing Authority for depositing cash to replenish the deficit in security amount, action shall be ascertained while imparting due opportunity of hearing to him. The maximum duration of this proceeding shall be ten working days from the beginning of the month. After the lapse of stipulated period, the licence in question shall be cancelled by the Licensing Authority in case of failure to replenish the requisite security amount.	(*c*) In case there is any shortfall in the license fee after due adjustment of consideration fee involved in the country liquor lifted by the licensee or if he fails to make good the deficiency of license fee, then the District Excise Officer shall adjust the outstanding balance amount of license fee from the security deposit of the licensee and after having issued notice to the licensee by the Licensing Authority for depositing cash to replenish the deficit in security amount, action shall be ascertained while imparting due opportunity of hearing to him. The maximum duration of this proceeding shall be ten working days from the beginning of the month. After the lapse of stipulated period, the licence in question shall be cancelled by the Licensing Authority in case of failure to replenish the requisite security amount.

Column I	**Column II**
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
After the expiry of the month, the replenishment in the deficit of security amount shall not be permitted for lifting the quantity of country liquor in the forthcoming month.	After the expiry of the month, the replenishment in the deficit of security amount shall not be permitted for lifting the quantity of country liquor in the forthcoming month. (*d*) (1) The licensee desiring to transfer a portion of his Monthly Minimum Guaranteed Quantity, which he is not able to lift, to another licensee or licensees of the same type, may be allowed such transfer of such portion (quota) on a monthly basis, within an excise district. (2) The transferor licensee shall make a request along with the consent of the transferee licensee to the District Excise Officer of the district. The terms of transfer shall be decided by both the transferor and transferee licensees mutually. (3) On approval of the request of the transferor licensee, the quota agreed upon to be transferred by him shall be deducted from his Monthly Minimum Guaranteed Quantity and shall be deemed to have been lifted and it will be added as a transfer Monthly Minimum Guaranteed Quantity in the account of the transferee licensee. This quantity will be over and above the original Monthly Minimum Guaranteed Quantity of the transferee licensee and his obligation regarding lifting of his original quota shall not be affected. (4) A quota transfer fee as prescribed by the Excise Commissioner with the previous approval of the State Government, shall be payable by the transferor licensee at the time of making such request: Provided that the total quota transferred under this provision shall not exceed 20% of the Monthly Minimum Guaranteed Quantity of the transferor licensee. Similarly, the transferee licensee shall not be entitled to receive such transferred quota, in excess of 20% of his Monthly Minimum Guaranteed Quantity.

P. GURU PRASHAD,
Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.

पी0एस0यू0पी0—3 असाधारण गज़ट—08.4.2021—125 प्रतियां (डी0टी0पी0 / आफसेट)।